Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 45-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020 (CHAITRA 12, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020

संख्या 26/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 59/2020.–पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 9/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

   (2) ये प्रथम अप्रैल, 2020, से लागू होंगे।

2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, सारणी में,–

   श्रेणी ''अनु०–1खच'' तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित श्रेणी तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :–

'' अनु०–2खच	भारत में बनी विदेशी मदिरा की खुदरा दूकानों अर्थात् अनु०–2 अनुज्ञप्तिधारियों तथा बार अनुज्ञप्तिधारियों अर्थात् अनु०–4 तथा अनु०–5, अनु०–12ग तथा अनु०–12छ द्वारा आयातित विदेशी मदिरा (बी०आई०ओ०) की खुदरा बिक्री	नियत फीस	कलक्टर	कलक्टर'';

3. उक्त नियमों में, नियम 24 में,–

(i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(i) प्ररूप अनु०–। में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) ₹1,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख प्रूफ लीटर से कम या बराबर है;

(ख) ₹1,25,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 10 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 25 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;

(ग) ₹1,50,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है;

(घ) ₹2,00,00,000 यदि किसी आबकारी जिले में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नही की जाएगी जब तक अनु०–1 लाईसैंस की कुल लाईसैंस फीस का बीस प्रतिशत की प्रतिदेय प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने अथवा देय किसी राशि या शास्ति के लिए समायोजित किये जाने के लिए दायी होगी।";

(ii) खण्ड (i–खख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(i–खख) प्ररूप अनु०–4/अनु०–5 में अनुज्ञप्तियों के लिए :–

(क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को प्रदान की गई अनु०–4/अनु–5 अनुज्ञप्ति : ₹ 25,00,000

परन्तु गुरूग्राम–मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2031 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर भी अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाएंगे तथा अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्तियॉ उभरते आवासीय नगर क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों में भी प्रदान की जाएगी, जहां हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर–क्षेत्र, रोहतक, औद्योगिक नगर पार्क मानेसर, टैक्नोलोजी पार्क, पंचकूला :

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु०–3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात–दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएंगी। अनु०–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रेफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारी एक या अधिक अतिरिक्त बिन्दुओं को उप–पट्टे पर देना चाहता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से 10 लाख रूपये प्रत्येक अतिरिक्त बिन्दु के लिए एक निर्धारित फीस प्रभारित की जाएगी। अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्तिधारी बार 12.00 बजे (मध्य रात्रि) तक खुले रख सकते हैं। तदापि, ये अनुज्ञप्त बार गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में 01.00 बजे तक खुले रह सकते हैं। बारों के समय को 10 लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर एक घंटे तक बढाया जा सकता है। तथापि, गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में स्थित इन बार लाईसैंसों का समय और एक घंटे के लिए (अर्थात् 03.00 बजे तक) दस लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर बढाया जा सकता है। मदिरा का विक्रय, जिसमें अनु०4/अनु०–5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा भी शामिल है, वैट पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार आकर्षित करेगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल ₹22,50,000 :

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु०–3) सहित, एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात–दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु०–3 अनुज्ञप्ति रखने वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं :

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी अवस्थित होटल को भी अस्थायी तौर पर अनु०–4/ अनु०–5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी इस शर्त के अध्यधीन कि प्रार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 4 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अस्थायी अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जायेगा। अनुज्ञप्ति अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल के लिए,–

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुज्ञप्ति फीस
1	गुरूग्राम	₹20,00,000
2	फरीदाबाद	₹17,00,000
3	सभी अन्य जिले	₹15,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी और फीस के बिना, एक अतिरिक्त बिन्दु तथा कक्ष सर्विस (अनु०–3) सहित, एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु०–3 अनुज्ञप्ति वाले के आधार पर, ये होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेयों के साथ–साथ होटल कक्षों में रखे रैफरीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं :

यह और कि अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्ति राज्य के किसी भी स्थान पर अवस्थित तीन सितारा और सितारा होटलों की उपर की श्रेणियों को भी दिया जायेगा। अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा राज्य में कहीं भी अवस्थित उन होटलों को भी दिए जा सकते हैं, जिनके पास तीन सितारा के बराबर और उससे उपर की श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को उसकी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त फीस के भुगतान पर बैंकट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, आयोजनो तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु०–4/अनु०–5 और अनु०–12ग अनुज्ञप्तिधारियों को विहित अनुज्ञप्ति फीस, निर्धारण फीस और परमिट फीस के भुगतान के अधीन रहते हुए अनु०–2खच के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) प्राप्त करने की अनुमति होगी :

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।'';

(घ) प्ररूप अनु०–4/अनु०–5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(क)	राजस्व जिला गुरूग्राम के लिए	₹18,00,000
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000
(ग)	गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य में सभी अन्य जिलों के लिए	₹10,00,000
(घ)	हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस
(ड.)	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹1,50,00,000 की प्रशमन फीस

परन्तु ₹6.00 लाख की कम्पोजिट प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कम्पोजिट अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगीः

परन्तु यह और कि कोई भी अनु०–4/अनु०–5 अनुज्ञप्तिधारी जाम की बजाय बोतलों में शराब की, बेहिसाब शराब की, बिना होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों की शराब की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो उसका अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए मना कर दिया जायेगा।

(iii) (क) खण्ड (ii) में, ''₹70,00,000'' अंकों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''₹1,00,00,000'' अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (ii-क) का लोप कर दिया जायेगा।

(ग) खण्ड (ii-ख) का लोप कर दिया जायेगा।

(iv) खण्ड (ii–ख) के पश्चात, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट को आशय का कोई नया पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक राज्य में मौजूदा आसवनी की स्थापित उत्पादन क्षमता का 90 प्रतिशत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का वास्तविक उपयोग न हो जाए। आगे, प्रस्तावित बाटलिंग प्लांट के लिए आशय का कोई भी पत्र वर्ष 2020–21 में पुनर्विधिमान्यकरण नहीं किया जाएगा, यदि आवेदक अपने आशय पत्र के उपबन्धों के अधीन निर्धारित समय के भीतर संयंत्र स्थापित करने में अफसल रहता है।

(v) खण्ड (ii–ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ii–ग) भारत में बनी विदेशी स्पिरिट पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगीः–

		राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए	भारत के भीतर राज्य से बाहर आपूर्ति के लिए	भारत के बाहर निर्यात
(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी–2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹15.00/– प्रति प्रूफ लीटर	₹7.50/–प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए	₹20.00/– प्रति प्रूफ लीटर	₹10.00/–प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिगं के लिए तथा जहॉ फ्रेचाईज फीस उदगृहीत नहीं की गई है	₹22.00/– प्रति प्रूफ लीटर	₹11.00/–प्रति प्रूफ लीटर	शून्य
(घ)	ब्रुअरज के द्वारा बीयर की बाटलिंग के लिए	₹8.00/– प्रति प्रूफ लीटर	₹4.00/–प्रति प्रूफ लीटर	शून्यः

परन्तु बाटलिंग फीस, निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए भी मदिरा पर उद्गृणीय होगी, यदि कोई भी फैन्चाईज फीस उद्गृहीत नहीं की गई है।'';

(vi) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु प्ररूप अनु०–12 क में अनुज्ञप्ति उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन के दौरान शराब परोसने के लिए कब्जा सीमा से अधिक दिया जाएगा। निम्नलिखित श्रेणियॉ अनु०–12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगी:–

(i) बैंकट हाल, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक पार्कों/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, समारोह वाली धर्मशालाओं, एकत्रित होने के लिए तथा विवाह पार्टियों में शराब परोसने के लिए।

(ii) एक विशिष्ट दिन पर समारोह की मेजबानी के लिए अस्थायी आधार पर अपने अनुज्ञप्त परिसर के बाहर शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्त होटलों, रेस्टोरेंटों तथा क्लबों के लिए।

(iii) कब्जे की सीमा से अधिक, व्यक्तिगत के लिए एक दिन हेतु निजी स्थान पर शराब परोसने के लिए।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे बैंकट हाल, पार्टी हॉल/लॉन वाले होटलों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में आबकारी विभाग में अनिवार्य रूप से

पंजीकरण करवाना होगा। पार्टी हॉल/लॉन वाले बैंकट हॉल और होटलों का वार्षिक पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार होगा :–

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल का अवस्थान	वार्षिक पंजीकरण फीस
1	गुरूग्राम तथा फरीदाबाद की कारपोरेशन सीमा	₹40,000
2	अम्बाला, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर की कारपोरेशन सीमा	₹25,000
3	शेष जिला हैडक्वार्टर शहरों की परिषद/समिति सीमा	₹15,000
4	जिले की नगरपालिका सीमा के बाहर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर पडने वाले बैंकट हाल/होटलों (आबकारी नीति तथा आबकारी नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन)	₹10,000
5	ग्रामीण क्षेत्रों में पडने वाले बैंकट हॉल(उपरोक्त श्रेणी 4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न)	₹5,000

अनु०–12क अनुज्ञप्ति के लिए फीस ढांचा निम्नानुसार होगा :–

क्रम संख्या	बैंकट हॉल/होटल का अवस्थान	वार्षिक पंजीकरण फीस
(i)	वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्ति के लिए	₹7,500 प्रतिदिन प्रति समारोह
(ii)	कब्जा सीमा से बाहर निजि स्थान पर व्यक्तिगत हेतु शराब परोसने के लिए	₹1,000 प्रतिदिन प्रति समारोह

सभी वाणिज्यिक स्थानों में अनु०–12 क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवदेन में प्रबन्धक के ब्यौरे अर्थात् नाम तथा शैली, जी.एस.टिन तथा मेहमानों की लगभग संख्या तथा मदिरा की मात्रा वर्णित होगी।'';

परन्तु यह और कि यदि कोई भी बैंकट हॉल/होटल वैध अनु०–12क अनुज्ञप्ति के बिना शराब परोसता पाया जाता है, तो प्रथम अपराध के लिए ₹50,000/–की शास्ति लगाई जाएगी, द्वितीय और तृतीय अपराध के लिए ₹1,50,000/–की शास्ति लगाई जाएगी। आगे पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे बैंकट हाल/होटल को एक वर्ष की अवधि के लिए कोई भी आबकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा।

(vii) खण्ड (iv–ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv-ख) प्ररूप अनु०–12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क)	राजस्व जिला गुरूग्राम के लिए	₹18,00,000/–
(ख)	जिला फरीदाबाद के लिए	₹15,00,000/–
(ग)	गुरूग्राम तथा फरीदाबाद के सिवाए राज्य के सभी अन्य जिले	₹10,00,000/–

परन्तु अनु०–12ग अनुज्ञप्तियॉ, इसके अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय, जिला मुख्यालय शहरों में स्थित इस प्रयोजन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विहित मानदण्डों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना और सुविधाओं का स्तर रखने वाले ख्यातिप्राप्त क्लबों को प्रदान की जाएंगी। अनु०–12ग रखने वाला क्लब अनु०–4/ अनु०–5 को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का हकदार होगा, जिसमें 3 स्टार की ग्रेडिंग होगी। इस अनुज्ञप्ति की फीस बीस लाख रूपये होगीः

परन्तु यह और कि जिला मुख्यालय के शहरों में आवासीय कोंडोमिनियम के लिए अनु०–12ग के रूप में अनुज्ञप्ति की अनुमति अनुज्ञात की जाएगी। मुख्य बार एल–4/एल–5 अनुज्ञप्ति के बराबर होगा, जब कोंडोमिनियम के अन्दर कोई अतिरिक्त मिनी क्लब प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त मिनी क्लब के लिए अपने मुख्य बार की अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञप्ति भी प्राप्त करेगा। यह इस शर्त के अधीन होगा कि केवल कोंडोमिनियम के निवासियों या उनके मेहमानों को इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएंगी :

परन्तु यह और कि अनु०–12ग अनुज्ञप्ति सरहिन्द क्लब, अम्बाला को प्रदान किए जाने पर, सेना के अधिकारी को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली शराब के लिए हकदार नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि कोई भी अनु०–12ग अनुज्ञप्तिधारी जाम की बजाय बोतलों में शराब की, बेहिसाब शराब की, बिना होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाले लेबलों की शराब की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी और परिसरों को दो साल की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि पॉच लाख रूपये की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु०–12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।'';

(viii) खण्ड (iv-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

(iv-ग) प्ररूप अनु०–12गग में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क)	9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (दो विक्रय बिन्दुओं सहित)	₹30,00,000
(ख)	18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब (तीन विक्रय बिन्दुओं सहित)	₹50,00,000:

परन्तु शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार के बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनु०–12गग क्लब बार के अनुज्ञप्तिधारी 12.00 (मध्य रात्रि) बजे तक खुले रख सकते हैं। तथापि, ये अनुज्ञप्त बार गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में 01.00 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। दस लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर बारों के समय को एक घंटे तक बढाया जा सकता है। तथापि, गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जिलों में स्थित इन बार लाईसैंसों का समय, एक और घंटे के लिए (अर्थात् यानि 03.00 बजे तक) दस लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक फीस के भुगतान पर बढाया जा सकता है।

टिप्पण 1 पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान अदायगी पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पण 2 हरियाणा पर्यटन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ कल्बों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रूपये के बराबर फीस के भुगतान पर चलाने की अनुमति दी जाएगी:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु०–12गग कल्ब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।'';

(ix) खण्ड (v) में, खण्ड (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

''(v) (i) देसी मदिरा (अनु०–13) के थोक बाजार के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी:–

(1) ₹30.00 लाख यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।

(2) ₹35 लाख यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक या 50 लाख प्रूफ लीटर से कम है।

(3) ₹40 लाख यदि आबकारी जिले में देशी शराब का वार्षिक कोटा 50 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे अधिक है।

अनुज्ञप्तिधारी से जिले में ₹10.00 लाख प्रति अनु०–13 की प्रतिदेय प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी।'';

(x) खण्ड (i–ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉं प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(i–ग) प्ररूप अनु०–1कख में अनुज्ञप्ति के लिए ₹60,00,000;'';

(xi) खण्ड (i–ड़) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियॉं प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

''(i–ड़) प्ररूप अनु०–1ख में अनुज्ञप्ति के लिए,–

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहॉं वर्ष 2019–2020 में अनु०–1ख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।	₹50,00,000;'';
2	यदि वर्ष 2019–2020 में, अनु०–1ख से वार्षिक बिक्री के मामले में, 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है	₹1,00,00,000;'';

(xii) खण्ड (i–ड़ड़ड़) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(i–ड़ड़ड़) प्ररूप अनु०–1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) अनु०–1खच के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹1,00,00,000/–होगी;

(ख) विभागीय पोर्टल पर आवेदन पत्र को ऑन–लाईन आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी;

(ग) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक, हरियाणा राज्य या किसी अन्य राज्य में कोई थोक अनुज्ञप्तिधारी, या कोई प्रोपराटर फर्म या कोई भागीदारी फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या सुसंगत विधि के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत कोई फर्म होगी।

(घ) आवेदक ₹2,00,000 की आवेदन फीस जमा करेगा। आवेदन फीस गैर वापसीयोग्य और गैर समायोज्य होगी। आवेदन के साथ ₹10,00,000 की प्रतिभूति राशि भी होगी। आवेदन, आवेदक की पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ होगा। सभी व्यक्तियों के पहचान प्रमाण, जैसे प्रोप्राइटर, सभी भागीदार, निदेशक और प्राधिकृत व्यक्ति, यदि कोई भी ऐसा प्राधिकृत है, तो आवेदन के साथ ही ऑन–लाईन अपलोड किया जाना चाहिए।

(ड़) आबकारी विधि के उपबन्धों के अनुसार जो सभी आवेदन सही पाए गए हैं, को पात्र माना जाएगा। विभाग अपनी विभागीय वैबसाईट पर पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित करेगा और, इसे उसके लाईसैंस के आबंटन की तिथि माना जाएगा। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के प्रदान करने के दिन से शुरू होने वाली अवधि या प्रथम अप्रैल, 2020, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होगी।

(च) पात्र आवेदक लाईसैंस फीस और अतिरिक्त लाईसैंस फीस के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि, यदि लागू हो, एक सप्ताह के भीतर या आबंटन की तिथि के नोटिस में निर्धारित ऐसे समय के भीतर जमा करेगा। अग्रिम राशि प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए समायोज्य होगी।

(छ) निम्नलिखित मामलों में आवेदक की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी:–

(i) यदि आवेदक अपने आवेदन में कोई गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करता है;

(ii) यदि आवेदक किसी भी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है;

(iii) यदि सफल आवेदक आबंटन के सात दिन के भीतर प्रतिभूति राशि की किस्त जमा करने में विफल रहता है;

(iv) यदि सफल आवेदक उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करने आवश्यक है या किसी अन्य कारण के लिए जैसा कि आबकारी आयुक्त उचित समझे।

(ज) यदि विभाग मानता है कि पर्याप्त संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वह अधिक आवेदनों को आमंत्रित करके आबंटन का एक और दौर शुरू करेगा।

(झ) यदि अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त सभी अनुज्ञप्तिधारियों का कोटा समान मात्रा में कम कर सकता है ताकि सभी अनुज्ञप्तिधारियों का कुल न्यूनतम कोटा राज्य की आवश्यकता के अनुरूप हो।

(ण) पात्र आवेदक अन्य सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, जो नोटिस, हिदायते और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित हैं।

(ट) आवेदक को अपनी प्रतिभूति राशि जमा करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी माना जायेगा।

(ठ) सफल आवेदक अनुज्ञप्ति फीस और अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, यदि लागू हो, तो अनुज्ञप्ति फीस और अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के दस प्रतिशत के बराबर प्रत्येक, यदि लागू हो, तो आठ मासिक किश्तों में भुगतान करेगा। अनुज्ञप्ति फीस का शेष भाग पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति राशि से समायोजित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति फीस की प्रत्येक किश्त अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की 20 तिथि तक देय होगी। प्रतिभूति से बकाया राशि, यदि कोई है, अनुज्ञप्तिधारी की ओर देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी। भारत में बनी विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा।

(ढ) अनु०–1खच अनुज्ञप्ति के लिए न्यूनतम कोटा निम्नानुसार नियत किया जायेगा:–

(i)	विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन, ब्रांडी आदि	10000 पेटियॉ
(ii)	बीयर	7000 पेटियॉ
(iii)	वाईन, साईडर, लीकर आदि	3000 पेटियॉ:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष में उपर बताए अनुसार न्यनूतम कोटा उठाना होगा। न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता की दशा में विस्की और वाईन के मामलें में ₹3000 प्रति पेटी शास्ति जो उपरोक्त (i), (iii) में दर्शायी गई है, तथा ₹1500 प्रति पेटी बीयर के मामले में उपरोक्त (ii) के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तिमाही के आधार पर कोटे की निगरानी की जायेगी। संचयी आधार पर गणना की गई प्रत्येक तिमाही के अन्त में उठाए गए कोटे की कम मात्रा के लिए शास्ति उद्ग्रहणीय होगी। तिमाही में दंडित किए गए कोटे की कमी के मामले में, उसी कोटे को बाद के किसी भी तिमाहियों में फिर से दंडित नही किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक खण्ड का वार्षिक कोटा 25 प्रतिशत होगा। वाईन के कोटे को विस्की के सेगमेन्ट में किसी अतिरिक्त फीस के बिना गणना किए जाने के अनुरोध पर अन्तरित करने की अनुमति दी जायेगी;

(ड) अनुज्ञप्तिधारी किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के बिना अतिरिक्त कोटे का भी हकदार होगा, जो न्यूनतम कोटे का 50 प्रतिशत होगा। यह उसके न्यूनतम कोटा को समाप्त करने के बाद उपलब्ध होगा।

(ड़) निर्धारण फीस तथा परमिट फीस निम्न प्रकार से उद्गृहीत की जायेगी:–

मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹200 प्रति प्रूफ लिटर	₹25 प्रति प्रूफ लिटर
वाईन	₹200 प्रति बल्क लिटर	₹25 प्रति बल्क लिटर
बीयर	₹70 प्रति बल्क लिटर	₹10 प्रति बल्क लिटर

(त) आयातित विदेशी मदिरा पर वैट 5 प्रतिशत के अधिभार के साथ 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा

(थ) ₹5,000 प्रति बोतल की शास्ति, शामिल बोतलों के आकार को ध्यान में रखे बिना, अनु०–1खच के परिसरों, या अनु०–1, अनु०–2, अनु०–4 तथा अनु०–5, अनु०–12ग, अनु०–12छ, अनु०–10ख इत्यादि जैसे किसी अन्य परिसरों पर पाई गई विस्की और वाईन की हर बेहिसाब बोतल पर लगाई जाएगी। शास्ति उन अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाई जायेगी जिसके परिसर पर शराब पाई गई है। बीयर के मामले में शास्ति ₹3,000 प्रति बोतल, बोतल के आकार को ध्यान में रखे बिना लगाई जायेगी।

(द) आयातित विदेशी मदिरा (बी०आई०ओ०) की विस्की और वाईन के स्टॉक पर, ₹7,000 प्रति बोतल की शास्ति, किसी भी अनुज्ञप्त परिसर पर कम पाये जाने पर, लगााई जाएगी। बीयर के मामले में, प्रति बोतल ₹3,000 की शास्ति लगाई जायेगी।

(ध) वर्ष 2019–2020 के लिए अनु०–1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2020–2021 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 31 मार्च, 2020 को आयायाति विदेशी मदिरा का बचा हुआ स्टॉक अन्तरित कर सकता है। विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी इत्यादि के लिए ₹120 प्रति प्रूफ लीटर की दर से और वाईन के लिए ₹120 प्रति बल्क लीटर और बीयर पर ₹50 प्रति बल्क लीटर की दर से अन्तरण फीस भी लगाई जायेगी ;

(xiii) खण्ड (i–ड़ड़ड़) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :–

"(i–ड़ड़ड़ड़) प्ररूप अनु०–2खच में अनुज्ञप्ति के लिए,–

(क) प्ररूप अनु०–2खच में अनुज्ञप्ति निर्धारित फीस पर दी जाएगी;

(ख) प्ररूप अनु०–2खच में अनुज्ञप्ति निम्नानुसार दी जाएगी :–

(i) प्ररूप अनु०–2खच में अनुज्ञप्ति एक निश्चित मूल्य पर भारत में बनी विदेशी मदिरा अर्थात् अनु०–2 की कुछ निश्चित खुदरा दूकानों को दी जाएगी, जो कि आयातित विदेशी शराब (बी०आई०ओ०) के लिए ठेके की क्षमता के अनुसार निश्चित की जायेगी। भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०–2) के ऐसे खुदरा ठेकों की अनुज्ञप्ति फीस आबकारी व्यवस्था में अलग से दिखाई जाएगी और यह ठेके की निविदा राशि से अधिक होगी। प्रत्येक ऐसे अनु०–2खच को विस्की, बीयर और वाईन की पेटियों की शर्त पर आयातित विदेशी शराब(बी०आई०ओ०) का न्यूनतम कोटा प्रदान किया जायेगा। ऐसे अनु०–2खच का न्यूनतम कोटा आबकारी व्यवस्था में दर्शाया जायेगा। अनु०–2खच की प्रतिभूति और अनुज्ञप्ति फीस उन नियमों के अनुसार वसूल की जायेगी जो खुदरा दूकानों की प्रतिभूति और अनुज्ञप्ति फीस अर्थात् अनु०–2 और अनु०–12क की वसूली के लिए लागू हैं। अनु०–2 तथा अनु०–14क के खुदरा ठेकों के मामले में कोटा उठाने तथा कोटा न उठाने के लिए शास्ति के उपबन्ध, इन अनु०–2खच अनुज्ञप्तियों के लिए यथा आवश्यक प्रश्विर्तन लागू होंगे। तथापि, विस्की और वाईन के लिए कम कोटा उठाने के लिए शास्ति ₹5,000 प्रति पेटी होगी तथा बीयर के लिए ₹2000 प्रति पेटी होगी।

(ii) प्ररूप अनु०–2खच में अनुज्ञप्ति राज्य की भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०–2) के खुदरा ठेकों को भी निम्नलिखित अनुज्ञप्ति फीस तथा कोटे पर दिया जायेगा जो उपर वर्णित (i) में निर्धारित नहीं हैं, के लिए निम्नलिखित फीस और कोटाः–

(क) 1000 पेटियों के न्यूनतम कोटा के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹5,00,000, जिसमें विस्की की 500 पेटियॉ, बीयर की 350 पेटियॉ तथा वाईन की 150 पेटियॉ शामिल होंगी।

(ख) अनु०–2खच की अनुज्ञप्ति फीस अग्रिम तौर पर एकमुश्त में अदा की जाएगी।

अनु०–2खच अनुज्ञप्तिधारियों के दोनों उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग किसी अतिरिक्त फीस के बिना अपने न्यूनतम कोटा के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटा के हकदार होंगे। आयातित विदेशी मदिरा (बी०आई०ओ०) का कोटा भारत में बनी विदेशी मदिरा के कोटे से अलग होगा।

(iii) प्ररूप अनु०–2खच में अनुज्ञप्ति, अनु०–4 तथा अनु०–5, अनु०–12ग तथा अनु०–12छ एकमुश्त देय ₹5,00,000 की नियत फीस पर दी जाएगी। निर्धारण फीस और परमिट फीस की दरें निम्नलिखित प्रकार से होंगी :–

मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

3. उक्त नियमों में, नियम 27–क में,–

(i) उप–नियम (1) में , खण्ड (iii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

''(iii) शापिंग माल में स्थित नजदीकी अनु०–2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त प्ररूप अनु०–10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस ₹25,00,000

परन्तु अनु०–10ख अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य के किसी भी अनु०–1खच अनुज्ञप्तिधारी से आयातित विदेशी मदिरा (बी०आई०ओ०) को मूल्यांकन फीस तथा परमिट फीस के भुगतान पर खरीदने की अनुमति होगी जो निम्नानुसार होगी :–

मदिरा का प्रकार	निर्धारण फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति प्रूफ लीटर	₹25 प्रति प्रूफ लीटर
वाईन	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹40 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर;'';

(iv) प्ररूप अनु०–10ग में अनुज्ञप्ति के लिए ₹10,00,000''।

4. उक्त नियमों में, नियम 31क में, ''325'' अंको के स्थान पर, ''410'' अंक प्रतिस्थपित किये जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 36–क में,–

(i) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकों का आबंटन, जोन में बांटा जाएगा। जोन का कमाण्ड क्षेत्र, आबकारी व्यवस्था में जोन के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था के भाग के रूप में ऐसे कमांड क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) सक्षम प्राधिकारी होगा। शहरी क्षेत्रों में ठेके का स्थान नियत किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी को उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन के अध्यधीन ग्रामीण क्षेत्रों में जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपना ठेका रखने की स्वतन्त्रता होगी। एक जोन में पूर्व निर्धारित स्थानों सहित शहरी क्षेत्रों में दो खुदरा ठेके शामिल होगें; ग्रामीण क्षेत्रों में दो खुदरा ठेके तथा अनुज्ञप्तिधारी को अपने कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी इन ठेकों की लोकेशन का निर्णय करने में सुगमता होगी। अनुज्ञप्तिधारी को कुल दो खुदरा ठेकों की सम्पूर्ण सीमा के अध्यधीन, अर्थात केवल देशी मदिरा या केवल भारत में बनी विदेशी मदिरा या दोनों, देशी मदिरा और भारत में बनी विदेशी मदिरा के ठेकों की किस्म निर्धारित करने की सुगमता होगी तथा अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा/भारत में बनी विदेशी मदिरा, जैसी भी स्थिति हो, के लिए प्रत्येक वैयक्तिक ठेके हेतु अपने जोन के कोटा में से अनुपातिक कोटा का निर्णय करेगा। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा में भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट, आयातित विदेशी मदिरा(बी0आई0ओ0), बीयर, वाईन, साइडर और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ शामिल होंगे। आबंटन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त से मिलकर बनने वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई–निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो, संचालित की जायेगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई–निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने जिले में स्थित सभी अनु०–2, अनु०–14क ठेकों, उप–ठेकों तथा अनुमत कक्ष की भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांक को विभाग की वैब पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

आबकारी व्यवस्था तैयार करने के बाद, जिले का उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने कार्यालय, जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के साथ–साथ सम्बन्ध संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) कार्यालय तथा विभाग की वैबसाईट www.haryanatax.gov.in पर आबकारी व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा और सार्वजनिक/हितधारकों से प्रदर्शन के बाद दो दिन के लिए आपत्तियों को आमन्त्रित करेंगे और दो दिन के भीतर यदि कोई आश्रेय है तो उसका निर्णय किया जायेगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगाः

परन्तु ठेकों के अन–अलॉटिड जोन का आबंटन, निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति में आरक्षित मूल्य को क्रमिक रूप से कम करके जारी रखा जाएगा :–

(i) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड रूपये से कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत स्लैब में;

(ii) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड रूपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के 3 प्रतिशत स्लैब में, जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 25 अप्रैल तक, या अगले कार्यदिवस को, यदि 25 अप्रैल को छुटटी होती है, जो भी पहले हो और इस सम्बन्ध में आबकारी तथा कराधान आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई–निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जायेंगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई–निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित मूल्य का दस प्रतिशत या पचास लाख रूपये, जो भी कम हो, से घटाते हुए होगा और आमन्त्रित ई–निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएंगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आंबटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा।'';

(ii) उक्त नियमों में, नियम 36–क में, उप–नियम (3) का लोप कर दिया जायेगा ;

(iii) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(4) प्रत्येक बोलीदाता को उसकी बोली के साथ अग्रिम धन देना होगा। अग्रिम धन केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में भुगतानयोग्य होगा। बैंक ड्राफ्ट आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला के पक्ष में भुगतानयोग्य होगा। अग्रिम धन की राशि निम्न अनुसार होगी :–

क्रम संख्या	जोन का आरक्षित मूल्य	अग्रिम धन
(i)	₹3 करोड़ से कम	₹10 लाख
(ii)	₹3 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹5 करोड़ से कम	₹20 लाख
(iii)	₹5 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹10 करोड़ से कम	₹40 लाख
(iv)	₹10 करोड़ तथा अधिक किन्तु ₹25 करोड़ से कम	₹60 लाख
(v)	₹25 करोड़ तथा अधिक	₹80 लाख।'';

(iv) उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(5) बोलीदाता को प्रत्येक जोन के लिए ₹50,000 की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी–योग्य नहीं है तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी।'';

(v) उप–नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु०–14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०–2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला में स्थित देशी मदिरा (अनु०–13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०–1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु०–13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु०–1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा :–

तिमाही	मासवार	
अप्रैल मई जून	9 प्रतिशत 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	25 प्रतिशत
जुलाई अगस्त सितम्बर	7 प्रतिशत 7 प्रतिशत 6 प्रतिशत	45 प्रतिशत

अक्तूबर नवम्बर दिसम्बर	10 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत	75 प्रतिशत
जनवरी फरवरी मार्च	9 प्रतिशत 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	100 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार उसे आबंटित कोटा का 100 प्रतिशत कोटा उठाना होगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा उठाने में असफल होने पर अल्प कोटा जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी को पिछली तिमाही का न उठाया गया कोटा अगली तिमाही में उठाना होगा।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 70/–रुपये तथा 125/– रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी को अपना कोटा देसी मदिरा के लिए ₹6 प्रति प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए ₹12 प्रति प्रूफ लीटर अन्तरण फीस अदा करने के बाद अन्तरण किया जाएगा जो कोटा अंतरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे अनुरोध पर अन्तरण करने वाले लाईसैंसी के द्वारा अदा की जाएगी।'';

(vi) उप–नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(19) कोई भी व्यक्ति, जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा, जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अडडे् तथा पूजा के स्थल के मुख्य दरवाजे से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 मीटर तथा शहरी क्षेत्रों में कम से कम 50 मीटर की दूरी पर स्थित हों। बशर्ते कि पूजा का ऐसा स्थल सरकार द्वारा अतिक्रमित जमीन पर न बनाया गया हो। बशर्ते कि पूजा का ऐसा स्थल कम से कम 400 वर्ग फुट की पक्की संरचना में बनाया गया हो। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्किट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा, जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थल पहले से स्थापित ठेके की निर्धारित दूरी सीमा में आता है।'';

(vii) उप–नियम (22) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(22) आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र और हरियाणा पर्यटन निगम/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि में उच्च राजस्व क्षमता वाले शराब के ठेकों का प्रस्ताव/सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, सम्बन्धित विभाग/निगम द्वारा नियत किए गए किराए का भुगतान अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सीधे तौर पर ऐसे विभाग/कारपोरेशन को अदा किया जायेगा। उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा मोनिटर किया जायेगा और तिमाही आधार पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, हरियाणा पर्यटक कम्पलैक्सों की दशा में केवल अनु०–2 ठेके अनुज्ञात होंगे। पर्यटक कम्पलैक्सों में अनु०–2 के साथ कोई अनुमत कक्ष नहीं खोला जाएगा।'';

(viii) उप–नियम (24) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

''(24) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र के पॉश मार्किट या शॉपिंग माल में अपने संयुक्त ठेकों में से एक या इससे अधिक ठेकों को अवंत ग्रेड आउटलेट में परिवर्तित करेगा, जहाँ वह केवल भारत में निर्मित विदेशी शराब को बेचने का इरादा रखता है। इस प्रयोजन के लिए, शहरी क्षेत्रों के पॉश मार्किट या शापिंग माल में कुछ खुदरा दुकानों को आबंटित अवंत ग्रेड आउटलेट के रूप में पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट को क्षेत्र के ग्राहक–गण तथा सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पहचाना जाएगा। अवंत ग्रेड आउटलेट में भारतीय विदेशी मदिरा (बोआईओ) के लिए पृथक वर्ग होगा। आधुनिक दुकानें किसी अतिरिक्त आबकारी शुल्क के बिना अर्थात् आबकारी शुल्क की दर पर अपने मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटे को उठाने के लिए हकदार होगा :

परन्तु मशीन द्वारा तैयार बिल का प्रोविजन सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बिल जारी करने के लिए आवश्यक होगा। भारत में बनी विदेशी शराब तथा देशी शराब के लिए अलग पॉस मशीनें सभी खुदरा विक्रेताओं के बिक्री काउंटर पर स्थापित की जाएंगी। इस प्रोविजन की उल्लंघना की दशा में, सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) जॉच करने के बाद प्रत्येक मामले पर ₹5000 की शास्ति अनुज्ञप्तिधारी पर लगायी जायेगी। आगे उपबन्धित किया जाता है कि यदि ₹15 करोड के बराबर या अधिक की अनुज्ञप्ति फीस वाले शहरी क्षेत्र का कोई अनु०–2 अनुज्ञप्तिधारी ठेके के आबंटन के बाद अवंत ग्रेड आउटलेट में

अपने ठेके को बदलना चाहता है, तो उसे विभाग के अनुमोदन से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। ऐसे आवेदनों को जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (विक्रय कर) तथा दो वरिष्ठतम आबकारी तथा कराधान अधिकारियों से मिलकर बनी समिति द्वारा परीक्षित किया जाएगा तथा अनुमोदन के लिए विचारा जाएगा।

"(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई–बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च, 2020 को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 7 अप्रैल, 2020 तक जमा कराई जाएगी।

अगर बोली की कीमत जो आरक्षित मूल्य 25 प्रतिशत से अधिक है, के मामले में, बोलीदाता को जमा प्रतिभूति राशि स्लैब के अनुसार, जो राशि लागू है, के अलावा अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। सफल बोली दाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में जमा किया जाएगा।

उसके बोली धन का 83 प्रतिशत मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जो कि ठेके/समूह ठेकों के उसके प्रचालन के प्रारम्भ के मास से शुरू होने वाले प्रत्येक मास की 20 तिथि तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 83 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 17 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 83 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 8.5 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।"

"(26) उसके बोली धनराशि के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 15 अप्रैल, 2021 तक उसकी ओर बकाया था असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। किश्तों की सूची निम्नलिखित प्रकार से होगी :–

मास	किश्तें (प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के संदर्भ में)
अप्रैल	5.00
मई	10.30
जून	10.30
जुलाई	10.30
अगस्त	8.20
सितम्बर	8.20
अक्तूबर	8.20
नवम्बर	8.20
दिसम्बर	8.20
जनवरी	6.10

यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा।"

"(27) जोन के ठेकों की दशा में, जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन की तिथि से दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तो में जनवरी तक भुगतानयोग्य होगी, उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2020 के बाद किया जाता है, तो उसके बोली धन का 83 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा, जिसमे आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा।

आबंटन/पुनः आबंटन 20 से पूर्व किया जाता है, तो भुगतान की तिथि 20 होगी या यदि आबंटन 20 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (31) में, खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''(v) वह एक्सपायर्ड मदिरा नहीं बेचेगा। यदि वह एक्सपायर्ड मदिरा की बिक्री करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को पहले अपराध के लिए ₹50,000/–, दूसरे अपराध के लिए ₹75,000/– तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए ₹1,00,000/– का जुर्माना भरेगा।'';

7. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(iv) देशी मदिरा के लिए ₹7.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडो के लिए ₹13.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹11 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उदगृहीत की जाएगी :

परन्तु कलक्टर (आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी को, केवल थौक अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति में, पिछले वर्ष के अनुज्ञप्तिधारी के बचे हुए स्टॉक को अंतर–जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगीः

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थौक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा छोड़े हुए स्टॉक को कलक्टर (आबकारी) के द्वारा उसी जिले के अन्य अनुज्ञप्तिधारी या दूसरे जिले के अनुज्ञप्तिधारी को भी हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹9.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹15.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹12.00 होगी।

टिप्पण :– जहॉं वर्ष 2020–2021 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क की दर में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2019–2020 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2020 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, देय होगी।''।

8. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप–नियम (16क) में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

(क) अनु०–14क/अनु०–2 अनुज्ञप्तिधारी को दो ठेकों के बीच, दो उप–ठेकों के बीच और केवल ग्रामीण इलाकों में ठेका/उप–ठेका के बीच 2.5 किलामीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी। उप–ठेका कानून के अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार भी होगा। ठेका/उप–ठेके को अधिमानतः फिरनी पर स्थापित करना होगा, परन्तु गॉव के लाल डोरा से बाहर। मदिरा बेचने के लिए ठेकों के स्थान के सम्बन्ध में सभी प्रावधान उप–ठेकों पर भी लागू होंगे।'';

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(छ) (क) उप–ठेका खोलने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति उप–ठेका के लिए ₹2,00,000 की नियत वार्षिक फीस की अदायगी पर प्ररूप अनु०–14क, अनु०–2/एस०वी० में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उप–ठेका उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्वानुमति पर जोन के कमाण्ड एरिया के भीतर खोलने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उप ठेकों के लिए प्रावधान नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) और (घ) के अनुसार लागू किया जायेगा ;

(ख) उप–ठेके 1000 (2011 की जनगण्ना के अनुसार) से अधिक की जनसंख्या की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ग) 1000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से कम की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के लिए उप–ठेके, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति से अनुज्ञात किए जाएंगे;

(घ) एक ठेका और एक उप–ठेका या दो उप–ठेके उस ग्राम पंचायत में अनुज्ञात किये जाएंगें, यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है।''।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।